झारखण्ड सरकार
परिवहन विभाग
एफ0एफ0पी0 भवन, एच.ई.सी. परिसर, भूतल, धुर्वा, राँची।

पत्रांक–परि०वि०–193/2013–2085/ राँची,दिनांक–01-09-2020/

प्रेषक,

रविशंकर विद्यार्थी
संयुक्त परिवहन आयुक्त,
झारखण्ड, राँची।

सेवा में,

निदेशक,
सूचना एवं जनसंपर्क विभाग,
झारखण्ड, राँची।

विषय : **नीलामी की सूचना प्रकाशन के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में परिवहन विभाग, झारखण्ड, राँची द्वारा निष्प्रयोजित किये जाने वाले कुल 25 (पच्चीस) वाहनों की नीलामी सूचना स्थानीय दैनिक समाचार पत्रों (हिन्दी एवं अंग्रेजी) में लगातार चार दिनों तक प्रकाशित करने की कृपा की जाय।

अनु०–नीलामी सूचना की प्रति।

विश्वासभाजन

संयुक्त परिवहन आयुक्त,
झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक:– परि०वि०–193/2013–2085/ राँची,दिनांक–01-09-2020/

प्रतिलिपि:– संयुक्त सचिव, भवन निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

संयुक्त परिवहन आयुक्त,
झारखण्ड, राँची।

झारखण्ड सरकार
परिवहन विभाग

नीलामी सूचना

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि झारखण्ड सचिवालय परिसर (प्रोजेक्ट भवन, राँची), झारखण्ड, शिक्षा न्यायाधिकरण, राँची, एफ०एफ०पी० भवन परिसर में स्थित निम्नांकित पुराने कंडम वाहनों की नीलामी **"जो है, जहाँ है"**, के आधार पर **दिनांक–26 / 09 / 2020 को 11:30 बजे पूर्वाहन् में परिवहन विभाग, झारखण्ड, राँची** द्वारा की जायेगी :–

क्र०सं०	वाहन संख्या	वाहन का प्रकार	न्यूनतम विक्रय मूल्य (राशि रूपये में)	Slot
1	JH01V-8207	Tata Indigo	40000/-	Slot-I 11:30 AM to12:00 PM
2	JH01V-7076	Ambassador Classic 2.0 DSZ (Euro II) BUMRL	20,000/-	
3	JH01V-7929	Mahindra Bolero	35,000/-	
4	JH01AL-9003	Tata Victa	40,000/-	
5	JH01AE-1001	Tata Victa	40,000/-	
6	JH01AQ-3666	Tata Victa	45,000/-	Slot-II 12:10 PM to12:40 PM
7	No Number (Un-registered)	Tata Victa	42,000/-	
8	JH01C-0660	Marshal, 2001	30,000/-	
9	JH01A-3632	Omni (Maruti), 2001	12,000/-	
10	JH01Q-1705	Esteem (Maruti), 2006	35,000/-	
11	JH01Q-1703	Esteem (Maruti), 2006	35,000/-	Slot-III 12:50 PM to 01:20 PM
12	JH01Q-1707	Esteem (Maruti), 2006	30,000/-	
13	JH01AP-1110	Ambassador, 2011	25,000/-	
14	JH01M-1878	Indigo GLS Euro II, 2005	25,000/-	
15	JH01V-3955	Tata Indigo, 2008	65,000/-	
16	JH01V-3939	Tata Indigo, 2008	65,000/-	Slot-IV 01:30 PM to 02:00 PM
17	JH01V-3933	Tata Indigo, 2008	65,000/-	
18	JH01V-3993	Tata Indigo, 2008	75,000/-	
19	JH01W-0841	Tata Indigo, 2008	60,000/-	
20	JH01U-0318	Tata Indigo, 2008	70,000/-	
21	JH01U-0319	Tata Indigo, 2008	70,000/-	Slot-V 02:10 PM to 02:40 PM
22	JH01AE-6601	Ambessador, 2008	15,000/-	
23	JH01AE-6602	Ambessador, 2008	15,000/-	
24	JH01AE-6603	Ambessador, 2008	15,000/-	
25	JH01C-1184	Ambessador, 2008	15,000/-	

नीलामी के आवश्यक शर्त निम्न प्रकार हैं :–

1. नीलामी का आधार **'वाहन जो जहाँ है, जैसा है'** होगा। भौतिक रूप से उपलब्ध वाहन की स्थिति या वाहन का कागजात जिस स्थिति में होगा, उसी स्थिति में देय होगा। उसके विरूद्ध किसी प्रकार का दावा नहीं किया जा सकेगा।
2. नीलामी के पूर्व डाकवक्ता के लिए प्रत्येक 4 पहिया वाहन के लिए **रूपये 2000 / – (दो हजार)** मात्र का भारतीय स्टेट बैंक द्वारा निर्गत बैंक ड्राफ्ट जो **राज्य परिवहन आयुक्त, झारखण्ड, राँची** के पदनाम से देय होगा, दिनांक–14 / 09 / 2020 तक कार्यालय अवधि में **राज्य परिवहन आयुक्त कार्यालय, एफ०एफ०पी० भवन, धुर्वा, राँची** में जमा करना अनिवार्य होगा, अन्यथा नीलामी में भाग

लेने के अधिकारी नहीं होंगे। नगद राशि किसी भी परिस्थिति में जमा नहीं की जायेगी। डाक (अधिकतम बोली लगाने वाले) में सफल होने पर उक्त राशि वाहन के मूल्य में समायोजित कर ली जायेगी। असफल डाक वक्ताओं को राशि नीलामी के तुरंत बाद वापस कर दी जायेगी।

3. अधोहस्ताक्षरी को यह अधिकार होगा कि बिना कारण बताये नीलामी को स्थगित/संशोधित या रद्द कर सकते है। इसके लिए किसी प्रकार की अपील नहीं की जा सकती है।
4. उच्चतम डाकवक्ता द्वारा तीन दिनों के अंदर नीलामी राशि पूर्ण रूप से जमा कर वाहन ले जाना अनिवार्य होगा, अन्यथा प्रतिभूति राशि के रूप में जमा की गई राशि जब्त कर ली जायेगी।
5. नीलामी में भाग लेने वाले इच्छुक व्यक्तियों को अपना पहचान पत्र **(वोटर आई. डी/आधार कार्ड/ड्राईविंग लाईसेंस/बैंक एकाउंट की प्रति)** अपने साथ रखना होगा तथा राशि जमा करते समय छायाप्रति उपलब्ध कराना होगा, अन्यथा नीलामी में भाग नहीं ले सकेंगे।
6. नीलामी की कार्यवाही Slot wise होगी। Slot के निर्धारित समय पर ही आवेदक प्रवेश कर सकेंगे। शामिल लोगों को COVID-19 संबंधी दिशा–निर्देशों का पालन करना होगा।
7. आवेदन प्राप्त होने के बाद सभी आवेदकों को Pass निर्गत किया जायेगा। उसे दिखाने के बाद ही प्रविष्टि दी जायेगी। एक Pass पर एक व्यक्ति का ही प्रविष्टि होगा।
8. राज्य से बाहर के आवेदकों को Entry Pass लेकर आना होगा। उन्हें इस कार्य को Business Work मानकर क्वारंटीन संबंधी दिशा–निर्देश से छूट दी जायेगी।
9. नीलामी के दौरान Social Distancing का पालन तथा Mask लगाना अनिवार्य होगा।
10. नीलामी की प्रक्रिया गठित समिति के समक्ष की जायेगी। कोई विवाद होने पर समिति का फैसला अंतिम एवं मान्य होगा।
11. **नीलामी प्रोजेक्ट भवन सभागार, द्वितीय तल** में की जायेगी।
12. नीलामी में राज्य सरकार के पदाधिकारी/कर्मी भाग नहीं ले सकते है।

संयुक्त परिवहन आयुक्त,
झारखण्ड, राँची।